



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 359 राँची, शुक्रवार, 26 ज्येष्ठ, 1945 (श०)
16 जून, 2023 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश
27 मार्च, 2023

संचिका सं0-5/स0भू0 धनबाद DFCCIL (स्थायी भू-हस्तांतरण)-06/2023-1209(5)/रा0--

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो0-डोरण्डा, राँची ।

विषय :- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक-15.03.2023 में मद संख्या-09 के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में धनबाद जिला अंतर्गत अंचल-तोपचांची, मौजा-पाकेरबेड़ा, खाता संख्या-139, प्लॉट संख्या-380 एवं खाता संख्या-140, प्लॉट संख्या-415, कुल रकबा-0.065 एकड़ गैर आबाद खास/आम खाते की भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-1) राजस्व विभागीय संकल्प सं0-4306/रा0, दिनांक-24.10.2014 में निहित प्रावधानों के आलोक में विगत तीन वर्षों का निबंधित दलील का विक्रयांक संग्रह पर 50% अधिकतम मूल्य वाले दलीलों का औसत दर के आलोक में प्रस्तावित भूमि के संगणित सलामी की राशि 66,987/- (छियासठ हजार नौ सौ सतासी) रुपये तथा

सलामी का पाँच (05) प्रतिशत वार्षिक लगान का पूंजीकृत मूल्य की राशि 83,725/- (तेरासी हजार सात सौ पच्चीस) रुपये एवं लगान का 145 प्रतिशत सेस का पूंजीकृत मूल्य की राशि 1,21,400/- (एक लाख इक्कीस हजार चार सौ) रुपये अर्थात् कुल देय राशि 2,72,112/- (दो लाख बहत्तर हजार एक सौ बारह) रुपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-II) की अदायगी पर Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (DFCCIL) को विशेष रेलवे लाईन निर्माण हेतु सशुल्क स्थायी भू हस्तांतरण करने के संबंध में।

आदेश- स्वीकृत।

- I. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा पाँच वर्षों की अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर यह भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जाएगी।
- II. उपायुक्त, धनबाद प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे।
- III. प्रस्तावित भूमि के स्थायी हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तांतरण किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी। उपायुक्त, धनबाद यह भी सुनिश्चित कर लेंगे कि यदि भविष्य में किसी प्रकार की देयता होती है तो अंतर राशि अधियाची/संस्था द्वारा भुगतये होगा। एकरारनामा में यह शर्त भी सन्निहित रहेगा।
- IV. प्रसंगाधीन मामले में एकरारनामा का निबंधन कराया जाना आवश्यक होगा एवं निबंधन पर निबंधन शुल्क एवं मुद्रांक शुल्क धार्य होगा। एकरारनामा के निबंधन के समय अधियाची/संस्था से उक्त राशि प्राप्त कर ली जायेगी।
- V. यदि निर्धारित अवधि के अंतर्गत अधियाची/संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया जाता है तो भूमि हस्तांतरण हेतु दी गयी राशि को जब्त कर लिया जायेगा। अधियाची/संस्था द्वारा राशि जमा किये जाने के बावजूद भी यदि जिला प्रशासन द्वारा अधियाची/संस्था को भूमि उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो दोषी पदाधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी।
- VI. अन्य सभी शर्तें राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-4306/रा0, दिनांक- 24.10.2014 में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अंजनी कुमार मिश्र,
सरकार के अपर सचिव।

संचिका सं०-5/स०भू० धनबाद DFCCIL (स्थायी भू-हस्तांतरण)-06/2023-1209(5)/रा०--

दिनांक-27.03.2023

अनुलग्नक-Iप्रस्तावित भूमि की विवरणी :-

क्र.	अभिलेख सं०	अंचल	मौजा/मौजा संख्या	खाता सं०	प्लॉट सं०	कुल प्रस्तावित रकबा(ए०में)	भूमि (गैर आबाद खास/आम) का किस्म
1	01/2022-23	तोपचांची	पाकेरबेड़ा/129	139	380	0.062	परती
				140	415	0.003	रास्ता
सकल कुल रकबा-						0.065	

अनुलग्नक-IIप्रस्तावित भूमि के मूल्य की गणना :-

क्र० सं०	अभिलेख सं०	मौजा का नाम	रकबा (ए० में)	बाज़ार दर प्रति एकड़ X कुल एकड़	सलामी की राशि (रूपये में)	व्यवसायिक वार्षिक लगान (सलामी का 5%) (रूपये में)	वार्षिक लीज़ रेंट का पूंजीकृत मूल्य (लगान X 25 गुणा)	देय सेस का पूंजीकृत मूल्य (लगान के 145% का 25 गुणा) (रूपये में)	कुल देय राशि (रूपये में) (6+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	01/2022-23	पाकेरबेड़ा	0.065	1030568	66987	3349	83725	121400	272112
कुल-					66987		83725	121400	272112

अर्थात् 2,72,112/- (दो लाख बहत्तर हजार एक सौ बारह) रुपये मात्र ।

सरकार के अपर सचिव ।
